Standard of Living of Imams of India

1794. SHRI K. R. MALKANI : Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Imams in India are living in poverty; if so, what is Government's proposals of subsidising Imams' wages ;

(b) whether Government would give some idea of the cost of this scheme for the States and for the Centre; and

(c) whether Government is thniking of subsidising the temple Pujaris, many of whom are lso living in abject poverty ?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI) : (a) No Survey/Study has been conducted by or under the aegis of the Ministry of Welfare to assess the economic status of the Imams in the country.

(b) The Supreme Court in a Judgement delivered in May, 1993 has, interalia, directed the Union of India and the Central Wakf Council to frame a scheme for payment of salaries and allowances to Imams of mosques in the country, takIng the salary structure prevalent in the Punjab and Haryana region as a model. There is no direction that the payment be made from the Government funds.

(c) There is no such proposal under consideration of the Government.

गोद लेने की प्रक्रिया में संशोधनों के लिए प्रतिवेदन

1795. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोद लेने के सभी पहलुओं से संबंधित मार्ग निर्देशों में संशोधन करने तथा उन्हें पुनः तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति श्री पी० एन० भगवती की अध्यक्षता में गठित कृतिक बल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कृतिक बल द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या-क्या हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात सहित गोद लिये बच्चों की राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(घ) क्या इन सिफारिशों के लिये क्रियान्वयन के संबंध में सरकार द्वारा कोई विशेष निर्देश जारी किये गये है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यबल की मुख्य सिफारिशों की मुख्य-मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई है। (**नीचे देखिए**)।

(ग) पिछले जिन वर्षों के दौरान दत्तक ग्रहण किए गए बच्चों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न अनुपत्र में दिया गया है। (**देखिए** परिशिष्ट 170, अनुपत्र सं० 41)

(घ) और (ङ) यह मामला विचाराधीन है।

विवरण

कृतिक बल द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य बातें इस प्रकार है:—

1. केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी, कल्याण मंत्रालय की भूमिका

(1) भारतीय बच्चे के दत्तकग्रहण हेतु मूल आवेदन/कागजात विदेशी सूचीबद्ध एजेंसियों द्वारा केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी को एक फोटो प्रति भेजते हुए सीधे भारतीय मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसी को प्रस्तुत किए जा सकते हैं। केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी को निर्धारित समय सीमा अर्थात् आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच सप्ताह के भीतर संबंधित स्थापन एजेंसी को विध्यरेंस सर्टिफिकेट उपलब्ध करना होता है। विद्यमान

दिशा-निर्देशों के अनुसार विदेशी सूचीबद्ध एजेंसियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपेक्षित आवेदन और कागजात केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी को भेजें।

(2) केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी को सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया जा सकता है और यह एक स्वायत्त निकाय होगा। अपने कार्यों तथा अधिकारों के प्रयोग के लिए भारत सरकार के किसी प्रकार के नियंत्रण अथवा हस्तक्षेप से स्वतंत्र होगा। लेकिन नीति संबंधी मामलों में यह भारत के निर्णयानुसार इस प्रकार की नीति के कार्यान्वयन के अनुरूप कार्य करने का बाध्य होगा।

2. राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की भूमिका

राज्य सरकार राज्य में कार्यरत बाल गृह और दत्तकग्रहण एजेंसियों की सूची रखेगी उन्हें दत्तकग्रहण के बारे में एक सलाहकार समिति भी बनानी होगी जो दत्तकग्रहण कार्य का प्रभावी रूप से पर्यवेक्षण कर सके और दत्तकग्रहण एजेंसियों का निरीक्षण कर सके।

3. दत्तकग्रहण के लिए मान्यताप्राप्त भारतीय एजेंसियों की भूमिका

स्थापन एजेंसियों का एक समय-सीमा के अनुसार बच्चे को भारतीय परिवार में स्थापित करना होगा। स्वैच्छिक समन्वय एजेंसियों को अन्तर्देशीय दत्तकग्रहण पर कार्रवाई करने के लिए उस हालत में स्थापन एजेंसी के पक्ष में आवश्यक क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी करना होगा, यदि वे गोद लिए हुए बच्चे के लिए भारतीय परिवार में कोई स्थान प्राप्त करने में असफल रहते हैं।

4. भारतीय एजेंसियों से मान्यता

राज्य सरकार आवेदन प्राप्ति की तारीख से 2 महीने की अवधि के भीतर केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी को स्थापन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत नवीकरण के आवेदन पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करनी होगी। यदि समय-सीमा के भीतर राज्य सरकार से कोई सिफारिश नहीं मिलती है तो इसका अर्थ केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी द्वारा राज्य सरकार की सहमति समझी जाएगी और दो महीने की अधिकतम अवधि के भीतर मान्यता देने के लिए केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी द्वारा आवेदन पत्र पर कार्रवाई की जाएगी। यदि अगले दो महीने की अधिकतम अवधि के भीतर या एजेंसी की मान्यता की समाप्ति से पहले, इसमें से जो भी बाद में हो, उस अवधि के भीतर स्थापन एजेंसी द्वारा दिए गए आवेदन पत्र के बारे में केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जाएगा कि नवीकरण के दो वर्ष की अवधि के लिए मंजूर कर दिया गया है।

5. दत्तकग्रहण के लिए विदेशी एजेंसियों की सूचना बनाना

अन्तर्देशीय दत्तकग्रहण के उद्देश्य हेतु सूची में नाम लिखने के लिए विदेशी एजेंसियों के आवेदन, उनके देश में स्थापित भारतीय दूतावासों/हाईकमीशन के माध्यम से भेजे जाने होंगे। केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी द्वारा सूची में शामिल करने के लिए विदेश एजेंसियों के अनुरोध पर विचार करते समय उनके देश में स्थापित भारतीय दूतावासों/हाइ कमीशनों की सिफारिश पर ध्यान दिया जाएगा।

6. स्वैच्छिक समन्वय एजेंसियों की भूमिका

देश के भीतर बच्चे स्थापित करने हेतु उन को सभी प्रयत्न करने के वास्ते स्वैच्छिक समन्वय या एजेंसियों को 30 दिन के बजाय 60 दिन की समयावधि दी जाएगी और यदि वे ऐसा करने में असफल रहते हैं तो वे 60 दिन की अधिकतम अवधि के भीतर स्थापन एजेंसी को आवश्यक क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी करेंगे।

7. जांचकर्त्ता एजेंसी की भूमिका

मंत्रालय किसी ऐसी एजेंसी को जांच एजेंसी के रूप में नियुक्त कर सकता है जो बाल कल्याण और कल्याण के क्षेत्रों में विशेषज्ञों का निकाय है और दत्तकग्रहण क्षेत्र में बच्चों के स्थापन कार्य से स्वयं किसी तरह से सम्बद्ध नहीं है। न्यायलय, परिस्थिति के अनुसार केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य एजेंसी को जांच एजेंसी नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त होगी।

8. विविध

भारत सरकार के लिए यह वांछनीय होगा कि वे उन देशों के साथ द्विपक्षीय करार करे जो दत्तकग्रहण के उद्देश्य के लिए भारत से बच्चे प्राप्त कर रहे हैं और ऐसे द्विपक्षीय करारों में भारत के उपयुक्त प्राधिकारियों तथा प्राप्तकर्त्ता राज्य के बीच पूर्ण समन्वय के लिए और प्राप्तकर्ता राज्य में दत्तकग्रहण हेतु लिए गए बच्चों की सुरक्षा और कल्याण का प्रावधान किया जाएगा।

(ग) कृतिक बल की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वीकृत ऋण

1796. **श्री राम रतन राम** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति वित्त एवम् विकास निगम द्वारा विशेष संघटक योजना के अंतर्गत वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान कुल कितने लोगों को ऋण दिया गया;

(ख) उनमें से फर्जी लोगों की कुल संख्या कितनी है, जिनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) फर्जी लोगों तथा उन्हें ऋण वितरित करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम ने इसके द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 (जनवरी, 94 तक) में 1,67,564 लाख परिवारों को ऋण प्रदान किया है।

(ख) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम द्वारा 5 शिकायतें प्राप्त की गई हैं।

(ग) तीन शिकायतों में वास्तविकता नहीं थी। शेष दो मामलों की जांच के लिए जिला पदाधिकारियों को सौंपा गया है। जांच पूरा होते ही आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

Grants by made ITDA in Andhra Pradesh

1797. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that ITDAs in Ahdhra Pradesh grant loans repeatedly to the same beneficiaries or their nominees;

(b) Whether any complaints have reached the Ministry of Welfare in this regard;

(c) Whether this issue has been taken up with Government of Andhra Pradesh; and

(d) What guidelines will be issued to the State Governments to ensure that ITDA programmes are not carried by a few people ?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI) : (a) Information has been called for from the Government of Andhra Pradesh.